कार्यालय–जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर

निविदा प्रपत्र

निविदा पत्र शुल्क

एस.एस.आई यूनिट हेतु : रू 100

अन्य फर्म हेतु : रू 200

(वापसी योग्य नहीं)

1–नाम एवं पता निविदाकार फर्म/संस्थान	:————————————
2–फोन नंबर/मोबाईल नंबर/ईमेल	:————————————
3–निविदा का नाम0	:**Tender for purchase of furniture**
4–निविदा की अनुमानित राशि	3,00,000 रू
5–बोली प्रतिभूति राशि	:रू 1500/– एसएसआई यूनिट :रू 6000/– अन्य निविदादाताओं हेतु
6–निविदा प्रपत्र विक्रय करने की	दि. 04.07.2022 को दोपहर 11.00 बजे से दिनांक 16.07.2022 दोपहर 01.00 बजे तक
7–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दि. 16.07.2022 को दोपहर 03.00 बजे तक
8–निविदा खोलने की तिथि	दि 16.07.2022 को सायं 4.00 बजे
9–आयकर पैन नंबर/जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति	:————————————
10–बोली प्रतिभूति राशि का विवरण	:डीडी नंबर———दिनांक—— राषि रूपये———————— बैंक का नाम———————

अध्यक्ष

कय समिति

जिला एवं सैशन न्यायालय,

जयपुर जिला, जयपुर

S.no	Item-with specification	Qty.	Rate-
01	**dias table shisham wooden-** size 6*4*2.50 feet one side box & other side three drawer with channel & 25 mm mdf board top both side laminated. foot rest with support legs: 3*3" frame: 4"*1.5" two side tables size 2*4*2.50 ft each in which one side box & 2 drawer one box, 25 mm mdf board top both side laminated/block board with sunmica. legs: 3*3" frame: 4"*1.5" side rack: both side leminated 17mm three side covered , three shelf size 42 " length 30" height 18"depth	01	
02	dias chair size; made of sheesham wood back height 4.5 feet sitting size 1.5 with 3" cushion with good cloth with handle dully melamine polished	01	
03	chamber table size 6*4*2.5 feet made by 19mm commercial board. front back & top leminated with 8mm mica with 3 drawer with channel fitting with beeding dully melamine polished. top with 12 mm glass.	01	
04	officer chair revolving	02	
05	sofa set with centre table 3+1+1	01	
06	chair: iron pipe with handle , pipe gaze 16mm, canning seat and back	30	
07	visitor chair	08	
08	computer table in wooden board 1200x750x750 mm	03	
09	iron stool 460x300x300 mm	05	
10	wodden stool 460x300x300 mm	05	
11	almirah steel almirah (large) 1980x910x480mm 20/22 gauge	07	
12	book rack 1675x840x305mm 20/22 gauge	04	
13	steel rack large 14 gauge angle & shelf 18 gauge	04	
14	side rack wooden both side leminated 17mm three side covered , three shelf size 42 " length 30" height 18"depth	01	
15	staff table size; 5*2.5*2.5 feet iron made bace one side three drawer with channel & lock, one computer key board drawer. 16 gaze pipe 25mm mdf board top both side leminated with footrest	10	

Note :- The design and all required materials will have to be got approved by the purchase committee.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदा की प्रतिबंध व शर्तें

01. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय समय में इस कार्यालय की लेखा शाखा (कमरा नंबर 101डी) में कैशियर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। **बोली प्रतिभूति राशि केवल बैंक ड्राफ्ट अथवा पे आर्डर के रूप में स्वीकार होगी, जो जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जिला जयपुर के पक्ष में देय होगा।** बिना बोली प्रतिभूति राशि जमा करवाये निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
02. किसी भी निविदा या निविदाओं को बिना कारण बताये क्रय समिति द्वारा निरस्त किया जा सकता है एवं निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस बाबत स्थायी क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
03. निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जायें, दरों पर कांट–छांट अथवा ओवर राईटिंग न हो तथा दरें साफ स्याही से शब्दों में एवं अंकों में अंकित की जाये एवं निविदादाता द्वारा प्रत्येक त्रुटि पर दिनांक व हस्ताक्षर किये जायें।
04. सफल निविदादाता फर्म को नियमानुसार एक अनुबन्ध पत्र राशि रुपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में निष्पादन स्वयं के खर्चे पर करना होगा।
05. सशर्त दर निविदा अस्वीकार की जा सकती हैं एवं दी जा रही दरें सभी करो सहित एफओआर दी जायेगी।
06. निविदा की जाने वाली फर्म को सप्लाई आदेश जारी करने के पश्चात् शीघ्र सप्लाई करना होगा। अन्यथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार दण्ड से आरोपित किया जा सकेगा।
07. दरो पर यदि किसी प्रकार का कर/प्रभार हो तो उसका उल्लेख किया जावेगा। बिना उल्लेख किये प्रस्तुत दरें समस्त कर/प्रभार सहित मानी जावेगी।
08. **अनुमोदित दरें वित्तीय वर्ष 2022–23 की समाप्ति तक मान्य होगी।**
09. **फर्नीचर की आपूर्ति सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजि., पावटा, जिला–जयपुर को एफ.ओ.आर की जायेगी । सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म जीएसटी के तहत पंजीकृत होनी चाहिये। नियमानुसार पैन व जीएसटी के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न होनी चाहिए।**
10. अनुमोदित प्रदायकर्ता के लिये यह समझा जायेगा कि उसने प्रदान की जाने वाली वस्तुओं की दशा स्पेसिफिकेशन साईज में आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली है और यदि इन शर्तों में इनके आशय के बारे में कोई संदेह हो तो वह हस्ताक्षर करने से पूर्व संदेह के निराकरण हेतु क्रेता अधिकारी को भेजेगा एवं उससे स्पष्टीकरण मांगेगा, जो कि अंतिम व मान्य होगा।
11. अनुमोदित प्रदायकर्ता अपनी निविदा को किसी को सबलेट नहीं करेगा।
12. प्रदाय की जा रही वस्तुओं की निविदा के अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई एस आई मापदण्ड की अपेक्षा की गयी है, उसके अनुरूप होनी चाहिये।
13. आपूर्ति की जा रही सामग्री अनुमोदित नमूनों के अनुसार होने पर ही स्वीकार की जावेगी। निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर सामग्री को आपूर्तिकर्ता के जोखिम पर रद्द कर दिया जावेगा। जिसे आपूर्तिकर्ता अपने खर्चे पर बदल कर आपूर्ति करेगा एवं रद्द की गई सामग्री वापिस प्राप्त करेगा। फर्नीचर का जो स्पेसिफिकेशन फार्म में दिया गया है उसको वास्तविक रूप में देखने के बाद ही समिति तय करेगी।

14. परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे, किन्तु यदि निविदाकर्ता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण करवाना चाहता है या परीक्षण से ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों पर मापदण्डों के अनुसार नहीं है, तो परीक्षण प्रभार प्रदायकर्ता द्वारा वहन किये जायेंगे।
15. वारण्टी अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। आपूर्ति किये गये सामान में वारण्टी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाये जाने पर फर्म का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।
16. उक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य सभी शर्ते राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 एवं अधिनियम 2012, सामान्य लेखा व वित्तीय नियम एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देषो के अनुसार मान्य होगी।
17. निविदाकर्ता निविदा के सभी पृष्ठों पर मोहर सहित हस्ताक्षर करेंगे।
18. असफल निविदादाताओं की अमानत राशि निविदा के स्वीकार की जाने पर तुरन्त लौटा दी जायेगी।
19. **सामग्री खरीद हेतु समिति का निर्णय अंतिम होगा व कोई भी निविदाकर्ता समिति के निर्णय को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दे सकेगा।**
20. निविदापत्र में दी गयी सामग्री की मात्रा में कमी या अधिकता हो सकती है।
21. **सफल निविदादाता/दाताओं को सप्लाई आदेश की पॉच प्रतिशत राशि निष्पादन कार्य प्रतिभूति के रूप में जमा करवानी होगी।**
22. आपूर्तिकर्ता फर्म को सप्लाई किये जा रहे सामान का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
23. अन्य शर्तों में कोई भी संशोधन करने का विभाग को अधिकार होगा, जो मान्य होगा।
24. सप्लाई पर सामान अनुमोदित नमूनों के अनुरूप होने पर ही स्वीकार किया जायेगा।
25. कोई भी विवाद होने की स्थिति में जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
26. क्रयादेश की निर्धारित अवधि में सामग्री प्रदान नहीं करने पर शास्ति (लिक्विडिटी डेमेज) निम्न प्रकार वसूली योग्य होगी–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिये क्रयादेश की राशि का 2.5 प्रतिशत।

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि तक के लिये विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का पॉच प्रतिशत।

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि तक के लिये विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का साढे सात प्रतिशत।

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिये क्रयादेश राशि का दस प्रतिशत।

हम जिला न्यायालय, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा चाहे गये फर्नीचर हमारे द्वारा दी गयी दरों के आधार पर सामग्री की आपूर्ति दिये जाने हेतु सहमत हैं।

हम जिला एवं सैषन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

हस्ताक्षर फर्म मालिक/पार्टनर मय सील
वास्ते
फर्म का नाम व पता